भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1153
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: धान के लिए समर्थन मूल्य
1153: श्री कोडिकुन्नील सुरेश

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने धान के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केन्द्र सरकार केरल राज्य को किसानों से धान की खरीद के लिए समर्थन करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केन्द्र सरकार ने केरल राज्य को किसानों से धान की खरीद के लिए कोई निधि जारी की है और यदि हां, तो विगत पाँच वर्षो के दौरान जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केन्द्र सरकार ने केरल राज्य को धान की खरीद के लिए मांग के अनुसार पूरी राशि जारी कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ङ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि धान की खरीद के महीनों बाद भी सरकार से बकाया राशि नहीं मिलने के कारण धान उत्पादक किसान आत्महत्या कर रहे हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केरल के धान उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

<u>उत्तर</u>
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार ने खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2024-25 के लिए धान (सामान्य) और धान (ग्रेड-ए) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रमशः ₹ 2300 प्रति क्विंटल और ₹ 2320 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

(ख) से (घ): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) अपनाने वाले राज्यों को खाद्य सब्सिडी जारी करता है। केरल सरकार ने खरीद के डीसीपी मोड को अपनाया है और तदनुसार किसानों को एम्एसपी के भुगतान का उत्तरदायित्व केरल राज्य सरकार का हैI डीएफपीडी मौजूदा दिशानिर्देशों/सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्नों के वितरण पर डीसीपी वाले राज्य द्वारा किये गये व्यय (एम्एसपी भुगतान, सोसायटी को कमीशन, मंडी श्रम, परिवहन, भण्डारण, बोरी लागत, ब्याज आदि सहित) की प्रतिपूर्ति करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल राज्य सरकार को को जारी खाद्य सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	राशि (करोड़ ₹ में)
2019-20	469.30
2020-21	1214.98
2021-22	1777.86
2022-23	1544.89
2023-24	1151.85

(ङ) और (च): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), आत्महत्याओं के संबंध में सूचना संकलित करता है और अपने प्रकाशन 'भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं' (एडीएसआई) नामक शीर्षक से सूचना प्रसारित करता है। 2022 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। एडीएसआई रिपोर्ट में किसानों की आत्महत्या के अलग कारण का उल्लेख नहीं है।

****